

पायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/549

दिनांक - 25/03/19

प्रार्थीगण
1 नेमाराम पुत्र अमराराम 2 दुर्गाराम पुत्र धीराराम 3 रेवन्ती पुत्री अमराराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा भादरेश 4 गेमराराम पुत्र आम्बाराम 5 अर्जुनराम पुत्र तगाराम जाति कुम्हार निवासी बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 तहसीलदार बाड़मेर 2 पदमसिंह 3 खुमाणसिंह पिसरान नवलसिंह 4 छेलेन्द्रसिंह 5 हरीसिंह पुत्र दौलतसिंह 6 भीखकंवर पत्नी दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी जालीपा 7 रणजीताराम 2 गोरधनराम 3 चिमाराम पिसरान अमराराम जाति कुम्हार निवासी विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 944/2018

दिनांक- 19.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 426/169 रकबा 16.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार मात्र सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 25/03/19

क्रमांक :- रीडर/2019/530 - 53

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नेमाराम पुत्र अमराराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर वगैराह तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर